सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मोहर किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नं 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी के कोड क्रमांक एबी–829 अंकित कर विवरण लिखा। फार्म नं 06 की दो प्रति एक लिफाफे में रखकर मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान का पता अंकित कर सील मोहर अंकित किया। इस प्रकार तैयार अवर कवर युक्त नमूने का एक भाग व सील्ड लिफाफा उसके द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान को दिनांक 28.11.2016 को जमा करवाकर आउटर कवरयुक्त नमूने की रसीद व सील्ड लिफाफा की रसीद ज्ञापन फार्म नं 06 पर प्राप्त की तथा दो सील बन्द नमूना मय फार्म नं. 06 की दो प्रतियां आउटर कवर में चपड़ी से सील बंद कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी को दिनांक 29.11.2016 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक जोन/एफएसएसए/2016/ 6259–60 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3459/एक्ट /2016/1131 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि विक्रेता श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल से क्रय कर लिये गये फोर्टिफाईड सरसों का तेल (ऊंट ब्राण्ड) 500 मि.ली. प्लास्टिक बोतल का नमूना संख्या एबी–829 संग्रह दिनांक 25.11.2016 मिसब्राण्ड होना पाया गया।

जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3459/एक्ट/2016/1131 दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना एबी–829 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ा) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीकानेर ने अभियुक्तगण के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णय आवेदन दिनांक 28.03.2017 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपना जवाब दिनांक 23.05.2017 एवं संशोधित जवाब दिनांक 06.07.2017 को पेश किया है तथा जवाब के माध्यम से परिवाद निरस्त करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब को दोहराते हुए कहा कि सरसों का तेल फोर्टिफाईड करने का आदेश जिला रसद अधिकारी द्वारा दिया गया था, उसी अनुसार लेबल तैयार किये गये थे। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्तगण के खिलाफ परिवाद में फोर्टिफाइड सरसों के तेल से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा गलत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तथ्य बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि विक्रेता द्वारा जो लेबल तैयार किये गए है उसमें पता अपूर्ण दर्शाया गया है, जिसके कारण से मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार फोर्टीफाइड सरसों का तेल (ऊंट ब्राण्ड) एबी–829 क्रमांक एलएस/3459/एक्ट/2016/1131 दिनांक 15.12.2016 द्वारा मिसब्राण्ड पाया गया है। लेबल को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रायसिंहनगर के बाद जिले का नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि Sample of Fortified Mustard Oil (ऊँट ब्राण्ड) bearing Code No. and Sr. No. AB-829 of Designed Office cum The Dy. Director (Zone) Medical & Health Service Zone Bikaner, is Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act 2006, Contravene Regulation 2.2.2(6) of FSS(Packaging and Labeling) Regulation 2011.

फलस्वरूप, श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रूकमानन्द अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, श्री राजकुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल (विक्रेता एवं भागीदार) मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर को Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act 2006, Contravene Regulation 2.2.2(6) of FSS(Packaging and Labeling) Regulation 2011 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। अतः मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) एवं धारा 52 के अन्तर्गत रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 01/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त 1. श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, पुत्र श्री रूकमानन्द अग्रवाल उम्र 60 जाति अग्रवाल (विक्रेता एवं भागीदार)
मैसर्स अग्रवाल इण्ड ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर

2 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल
मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर

3. श्री राजकुमार अग्रवाल
मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर

4. मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 06 जुलाई, 2017

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री महमूद अली दिनांक 25.11.2016 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य करने हेतु अधिकृत है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 30.06.2015 के द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर आवंटित किया गया है और जोन बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.11.2016 को दोपहर 04:00 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 12 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायसिहनगर पहुंचे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रूकमानन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल आम जनता को फोर्टीफाइड सरसों का तेल (ऊंट ब्राण्ड) पैक्ड 500 मि.ली. प्लास्टिक बोतल आदि बेच रहे थे। विक्रेता ने स्वयं को उक्त संस्थान का भागीदार होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित गवाहान श्री हेम सिंह एवं श्री राहुल पुत्र गौरीशंकर के समक्ष विक्रेता भागीदार की उपस्थित में फर्म का निरीक्षण किया। फर्म में रखे 20 पैक्ड प्लास्टिक बोतल प्रत्येक 500 मि.ली. आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। निरीक्षण करने के दौरान फोर्टीफाइड सरसों का तेल (ऊंट ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर 20 पैक्ड प्लास्टिक बोतल प्रत्येक 500 मि.ली. में से 4 प्लास्टिक बोलत प्रत्येक 500 मि.ली. फोर्टीफाइड सरसों का तेल (ऊंट ब्राण्ड) नमूना संग्रह हेतु क्रय करके बताये अनुसार मूल्य 211/– रूपये विक्रेता श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये एवं कोड व क्रमांक एबी–829 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया, उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक बोतल पर **अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन,** बीकानेर की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप, प्रत्येक पर कोड व क्रमाक एबी–829 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर पैंदे से सिरे तक लेकर सिर पर घुमाते हुए पैंदे तक लगाकर गोलाई में गोंद से चिपकाई गई। उक्त प्रकार से तैयार प्रत्येक नमूना बोतल को ऊपर–नीचे व आजू–बाजू धागे से बांधकर निमयानुसार नीचे, ऊपर व दायें–बायें चार–चार जगह पर चपड़ी से सील मोहर किया। चारों नमूना बोतलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक एबी–829 अंकित कर विवरण लिख कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों स्लिप व नमूना बोतलों को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने भागीदार विक्रेता व गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदन ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एबी–829 सील बंद किया गया था, उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने गवाहान व विक्रेताओं के सामने मौके पर ही की। फार्म नं 06 की 07 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर